

प्रश्नक,

एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासनADG (Tech. Service)
ADG (E)

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग 7

27-2-18

संलग्न दिनांक 27 फरवरी, 2018

विषय- पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्ज का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-सात-62(पोर्टल)2017 दिनांक 18.01.2018, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण एवं इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी एवं उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान किये जाने तथा उक्त सेवाओं हेतु लिए जाने वाले विभागीय शुल्क एवं यूजर चार्ज का निर्धारण निम्न तालिका के अनुसार कतिपय शर्तों के साथ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

क्र०	सेवा	पुलिस विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा केन्द्रों द्वारा शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने पर निर्धारित शुल्क
1	Lost and Found	0	15/-
2	Filing of complaint for FIR Registration	0	15/-
3	Issuance of Certificate for character, Antecedents, No objection for vehicle etc.	50/-	65/-
4	Application for tenant verification	50/-	65/-
5	Application for Servent verification	50/-	65/-
6	Application for Police verification	50/-	65/-

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/78-2-2016-34आईटी/2010 दिनांक 04.02.2016 में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूजर चार्ज में से डिस्ट्रिक्ट सविस प्रोवाइडर (डी0एस0पी0) के अंश के पुनर्विभाजन एवं वितरण की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु जो शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है वह उक्त शासनादेश के अनुसार ही लिया जाएगा।

ऐसे आवेदक जो सीधे पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल से विभागीय सेवाएं प्राप्त करेंगे उन्हें राजकोषीय देयता के अतिरिक्त अन्य किसी यूजर चार्ज/प्रदाता अधिभार का भुगतान नहीं करना होगा।

- 3- उक्त शुल्कों के अधिरोपण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि जनसामान्य से न वसूली जाय।
- 4- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। किसी विचलन के लिए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे किसी भी अनियमितता अथवा आडिट आपत्ति के लिए पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।
- 5- पुलिस विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश में स्थापित सभी जन सेवा केन्द्रों के द्वारा इलेक्ट्रानिक डिजीवरी के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इटीगेशन, प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।
- 6- आवेदक द्वारा निकतम जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पुलिस विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु जन सेवा केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।
- 2- उपर्युक्त प्राप्तियों हेतु अलग से प्राप्ति शीर्ष खोले जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इस प्रकार की प्राप्तियों को प्राप्ति लेखाशीर्ष "0055-पुलिस-800-अन्य प्राप्ति-08-अन्य प्रकीर्ण प्राप्ति" के अन्तर्गत जमा किया जाएगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-314/दस-2018, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(एस0पी0 उपाध्यय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-189/6-पु-7-2018 तद दिनांक।

- 1- महालेखाकार, लेखा/आडिट, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ। ✓
- 5- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेंस, लखनऊ।
- 6- एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इंदिरा भवन, इलाहाबाद।
- 8- निदेशक वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाइल हेतु।

आजा से
(एस0पी0 उपाध्यय)
संयुक्त सचिव।